बीज व्यवसायी की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रारूप

प्रति,

रजिस्ट्रीकर्त्ताा प्राधिकारी

-------- स्थान

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

1.आवंदक का पूरा नाम और पता

क- नाम और डाक पता

ख- कारोबार का स्थान (कृपया सही-सही पता दें)

1- विक्रय के लिये

2- भण्डारण के लिये

2. क्या वह स्वत्वधारी/भागीदारी/लिमिटेड कम्पनी/हिन्दु अविभक्त/कुटुम्ब/ समुत्थान है ? स्वत्वधारी/भागीदार/प्रबंधक/कर्त्ताा का नाम पता दें ।

3. यह आवेदन किस हैसियत में किया गया है :

1- स्वत्वधारी

2- भागीदार

3- प्रबंधक

4- कर्त्ताा

4. क्या आवेदक को पहले कभी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के अधीन या उसके अधीन जारी किए गए किसी आदेश, के अधीन आवेदन की तारीख से पहले, पिछले तीन वर्षो के दौरान, दोषीसिद्ध किया गया है ? यदि हां तो ब्यौरा दें ।

5. उन बीजों का ब्यौरे दें, जिनका कारोबार किया जाना है ।

क्र. संख्या बीज का नाम

6. मैने/हमने चालान संख्या.............तारीख................द्वारा 50 रू. की अनुज्ञाप्ति फीस कोषालय / बैंक .... में जमा कर दी है ।

7. घोषणा

क- मैं/हम घोषित करता हूं/करते है कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं हैं।

ख- मैने/ हमने बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के उपबंध प्रारूप ''ख'' में दी गई अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और हम उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

स्थान

टिप्पणी- 1- जहां बीजों के विक्रय/निर्यात/आयात का कारोबार एक से अधिक स्थानों पर की जाना हो, वहां ऐसे प्रत्येक स्थान के लिये पृथक अनुज्ञप्ति प्राप्त की जानी चाहिये।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय में प्रयोग के लिये

प्राप्ति की तारीख आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम और पद

प्रतीक

प्रारूप ''ख''

खण्ड 5 देखिये

बीज के व्यवसाय करने की अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या---------- तारीख ----------

1. बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के उपबंध और इस अनुज्ञप्ति के निबंधनो और शर्तो के अधीन श्री/मेसर्स --------- को बीजो के उक्त प्रयोजन के लिये विक्रय, निर्यात, आयात और भंडारण करने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाती है ।

2. अनुज्ञप्तिधारी----- पर (भंडारण के स्थान और विक्रय का स्थान)------ (तहसील या जिला)------- में उपरोक्त कारोबार करेगा ।

तारीख अनुज्ञापन प्राधिकारी

मोहर राज्य --------

अनाुप्ति के निबंधन और शर्तेः

1. अनुज्ञप्ति, कारोबारी परिसर के किसी भाग में किसी प्रमुख और स्पष्ट-दृष्य स्थान पर जो आम जनता के लिये खुला रहेगा, प्रदर्शित की जाएगी ।

2. अनुज्ञप्ति धारक बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के और उसके अधीन जारी की गई तत्समय प्रवृत्त अधिसूचना के उपबंधो का अनुपालन करेगा ।

3. यह अनुज्ञप्ति तुरन्त प्रभावी होगी और------ तक वैध होगी जब तक कि इसके पहले ही रद्द या निलंबित नहीं कर दिया जावें ।

4. अनुज्ञप्ति का धारक समय-समय पर अनुज्ञापन प्राधिकारी को बीजों के उक्त प्रयोजनों के लिये विक्रय, निर्यात, आयात या भण्डारण का कारोबार करने वाले परिसर में किसी भी परिवर्तन की रिपोर्ट देगा ।

5. अनुज्ञप्ति धारी बीजों के भण्डारण, विक्रय या निर्यात के प्रयोजन के लिये अपने द्वारा प्रयुक्त किसी दुकार, डिपो या गोदाम या अन्य स्थान/स्थानों में उसके स्टाफ का निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके प्राधिकार क अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य अधिकारी को हर सुविधा प्रदान करेगा ।

प्रतीक

प्रारूप ''ग''

खण्ड 7 देखिये

बीज व्यवसाय करने के लिये अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन

प्रति,

अनुज्ञापन प्राधिकारी

-------- स्थान

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

मैं श्री/श्रीमति/मेसर्स---------- के नाम और पदनाम से बीजों के व्यवसाय का कारोबार करने के लिये अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये आवेदन करता हूं। यह अनुज्ञप्ति जिसका नवीनीकरण कराया जाना है, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा -------- राज्य के लिये दी गई थी और उसे --------- को अनुज्ञप्ति संख्या------ दिनांक --------- को आवंटित किया गया था ।

आवंदक का पूरा नाम और पता -------------------------------

तारीख और स्थान ------------------------------

प्रमाणित किया जाता है कि ------------- परिसरों में स्थित बीजों के व्यापारी का कारोबार करने के लिये संख्या क्र---- वाली अनुज्ञप्ति ------ को दी गई थी जिसका-------- तक नवीनीकरण किया जाता है जब तक कि वह बीज नियंत्रण आदेश 1983 के उपबंधों के अधीन पहले ही निलंबित या रद्द नहीं कर दी जाती है ।

अनुज्ञापन प्राधिकारी

राज्य

तारीख

नवीनीकरण सं.................

मोहरः

प्रतीक

प्रारूप ''ध''

खण्ड 18 देखिये

1. माह व वर्ष ------------------

2. अनुज्ञप्ति धारक का नाम व पर ------------------------- फसल/ किस्म	बीज की श्रेणी	माह के प्रथम दिन प्रारंभिक बचत	माह के दौरान क्रय की मात्रा	कुल आयात की गई मात्रा	योग (3/4/5)	कुल बची गई मात्रा	कुल निर्यात की गई माख	माह की अंतिम बचत 6-(7/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

व्यापारी के हस्ताक्षर

नाम---------------

पता---------------

परिशिष्ट-1

बीज निरीक्षक द्वारा बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के अनुसार/

लिये गये नमूनों का मासिक विवरण

माह-------- वर्ष --------

फसल मौसम -------------- क्र.	फसल	किस्म	किये गये नमूने (संख्या)	परिणाम प्राप्त मानक/ अमानक	कार्यवाही निररीक्षक/ अनुज्ञप्ति अधिकारी
1	2	3	4	5	6

बीज निरीक्षण के हस्ताक्षर

नाम -------------

मुख्यालय-----------

परिशिष्ट-2

उप संचालक कृषि द्वारा बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के अनुसार की गई कार्यवाही का मासिक पत्रक

जिला ---------

फसल मौसम-------

माह ------------ क्र.	**जिले के बीज विक्रय केन्द्रों की संख्या**	**जिले के कुल बिक्र योग्य मात्रा**	**लिये गये नमूने**	**परिणामों की सिाित मानक/ अमानक**	**अमानक पाये जाने पर की गई कार्यवाही**	**अभ्युक्ति**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

उप संचालक कृषि

जिला --------

परिशिष्ट-3

बीज विक्रय केन्द्र का निरीक्षण प्रतिवेदन

केन्द्र का नाम ---------------

निरीक्षण का दिनांक------------

अनुज्ञप्ति धारक का नाम----------

अनुज्ञप्ति क्र. -----दि.---------

अनुज्ञप्ति केन्द्र पर स्पष्टदृश्य स्थान पर लगाई है --------- हाँ/ नहीं

केन्द्र पर बीज की मात्रा ---------- क्र.	**फसल**	**किस्म**	**बीज की श्रेणी**	**बीज की मात्रा स्टाक**	**कुल विक्रय की गई मात्रा**	**रिमार्क**
1	2	3	4	5	6	7

केन्द्र पर बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के किसी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं पाया गया ------- यदि हां तो विस्तृत विवरण देवें --------------------- --- ---

अनुज्ञप्ति धारक या प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

केन्द्र ------------- बीज निरीक्षक के हस्ताक्षर

मुख्यालय ----------

परिशिष्ट-4

कृषि विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2000

क्र.बी-14-3-92-चौदह-2- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1995 का सं.10) की धारा 3 के अधीन जारी किए गए बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अधिकारियों को, उक्त आदेश के अधीन उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अनुज्ञापन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात :-

अनुसूची **अनु. क्र.**	**अधिकारी**	**अधिकारिता**	**प्रयोजन**
1	**2**	**3**	**4**
1.	समस्त जिले के उप संचालक कृषि	अपने जिले हेतु	कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के बीज
2.	परियोजना कार्यपालन अधिकारी रायपुर	रायपुर जिले हेतु	कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के बीज

परिशिष्ट-5

क्र.बी-14-3-92-चौदह-2- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1995 का सं.10) की धारा 3 के अधीन जारी किए गए बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अधिकारियों को,जो बीज नियम 1968 के नियम 22/ आर्हताए रखते हो को उक्त आदेश के अधीन उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात :-

अनुसूची **अनु. क्र.**	**अधिकारी**	**अधिकारिता**	**प्रयोजन**
1	**2**	**3**	**4**
1.	कृषि संचालनालय मध्यप्रदेश,भोपाल मे पदस्थ समस्त संयुक्त संचालक कृषि, उप संचालक कृषि, सहायक संचालक कृषि, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा कृषि विकास अधिकारी	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश	कृषि फसलों के बीज

2.	समस्त सहायक संचालक कृषि, समस्त वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विषय वस्तु विशेषज्ञ और कृषि परियोजना/ विकास अधिकारी जो उप संचालक कृषि जिला/ कार्यालय कार्यपालन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में पदस्थ है ।	यथास्थिति, जिला	कृषि फसलों के बीज
3.	सभी उपसंभागीय कृषि अधिकारी उपसंभाग एवं विकासखण्ड या वृत स्तर के पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं कृषि विकास अधिकारी	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश	उद्यानिकी फसलों के बीज
4.	उद्यानिकी संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल में पदस्थ समस्त संयुक्त सिंचालक उद्यान/ उप संचालक उद्यान एवं सहायक संचालक उद्यान वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश	उद्यानिकी फसलों के बीज
5.	जिले में पदस्थ समस्त उप संचालक उद्यान/ परियोजना संचालक उद्यान/ परियोजना अधिकारी उद्यान/ जिले के विकासखंड या कृत की वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, उद्यान विकास अधिकारी एवं उद्यान अधीक्षक	यथास्थिति जिला/ विकासखंड/ वृत	प्रशासनिक फसलों के बीज

क्र.बी-14-3-92-चौदह-2- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1995 का सं.10) की धारा 3 के अधीन जारी किए गए बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त आदेश के प्रयोजनों के लिये संभागीय संयुक्त सँचालक कृषि को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

ए.के.श्रीवास्तव, उपसचिव